

18.03.24 पेशी से गिरकर पत्रावली आज पेशी
में ली गई। वकील वादीगण या वादीगण
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज
लगाने पर भी उपस्थित नहीं आये।
अतः वादीगण का यह वाद पत्रावली-
पैरवी-अफ़्त दालिरी में इसी स्तर
पर खारिज किया जाता है। पत्रावली
बाद वरतीक लकमील होकर दालिल
दफ़लर हो।

मिर्गय लिखाय जकर खुले न्यायालय
में शुन्या गया।


(मनोज कुमार शीवा)
Rokto

